फर्म का नामः– फार्म सं0:

धरोहर राशिः– 15000.00

ई0ओ0आई0 बिक्री की तिथिः– 30.11.2019 अन्तिम तिथिः– 06.12.2019

ई0ओ0आई0 खोलने की तिथिः– 03.12.2019 सांय 4:00 बजे

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(**I.S.O. 9001:2008** एवं **I.S.O. 14001:2004** द्वारा प्रमाणित संस्था)

द्वारा

इन्दिरापुरम योजना स्थित नीतिखण्ड–I मे हरित पट्टी में रोपित फलदार वृक्षों की 5 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु नियम एवं शर्तो की विवरणिका।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद (यू0पी0)

एक सुन्दर शहर.....हमारा संकल्प

मूल्य–` 1180.00

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(**I.S.O. 9001:2008** एवं **I.S.O. 14001:2004** प्रमाणित संस्था)

फलदार वृक्षों के संचालन हेतु नियम व शर्ते

1. *अनुज्ञप्ति की अवधि 5 वर्ष की होगी।*
2. *प्रस्ताव के समय रू0 15,000.00 (पन्द्रह हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, जमा कराना होगा। बिना जमानत के धनराशि के प्रतिभाग की अनुमति नहीं होगी।*
3. *प्रस्ताव के साथ प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी।*
4. *प्राधिकरण परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है तथा प्रस्ताव देते समय मोबाइल बन्द रखना होगा।*
5. *रूचि की अभिव्यक्ति स्वीकृत होने की दशा में 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। जमा न कराने की दशा में जमानत के रूप में जमा धनराशि रू0 15,000.00 (पन्द्रह हजार) मात्र प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी।*
6. *जबतक उच्चतम प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव की 25 प्रतिशत धनराशि प्रस्ताव के दिन प्राधिकरण कोष में जमा नही करा दी जाती तब तक द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक की जमानत धनराशि वापस नहीं की जायेगी। अन्य प्रस्तावकों की जमानत की धनराशि वापस कर दी जायेगी।*
7. *प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक की बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए प्रस्ताव पुनः आमन्त्रित किया जायेगा।*
8. *प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम प्रस्तावक को वार्षिक धनराशि अग्रिम किस्तो के रूप में जमा करानी होगी।*
9. *अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।*
10. *किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।*
11. *यदि अनुज्ञप्ति समाप्त की जाती है तो अनुज्ञप्तिग्रहिता को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।*

12. *प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात प्रस्तावक को अपने खर्चे पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।*
13. *अनुज्ञप्तिग्रहिता अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेंगा, ऐसा करने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।*
14. *यदि अनुज्ञप्तिग्रहिता पर किसी प्रकार का बकाया रह जाता है तो उसकी वसूली भू–राजस्व की भॉति की जायेगी, इस पर जो भी अतिरिक्त व्यय भार होगा उसे अनुज्ञप्तिग्रहिता को देना होगा।*
15. *विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अनुज्ञप्ति समाप्त कर सकते है। परन्तु ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिग्रहिता को अवशेष अवधि की ही अनुपातिक धनराशि प्राधिकरण द्वारा वापस की जायेगी।*
16. *स्थल पर अन्य पौधों एवं सम्पत्ति को क्षति पहुॅचायी जाती है तो उसकी क्षति की प्रतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।*
17. *एजेन्सी द्वारा अधिकृत क्षेत्र में जानवर रखना एवं किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।*
18. *प्रस्ताव स्वीकृति उपरान्त पौधों पर रसायन, छिडकाव, चौकीदार, सिचाई तथा अन्य देख–रेख एजेन्सी को*

स्वयं करनी होगी। पानी के श्रोत की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा कराई जायेगी तथा संचालन व्यवस्था एजेन्सी को अपने व्यय पर करनी होगी।

19. *प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व एजेन्सी का ही होगा। प्राधिकरण द्वारा कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।*
20. *फलदार वृक्षों की कटाई–छटाई स्थल प्रभारी के दिशा निर्देश पर होगी।*
21. *एजेन्सी को फलदार वृक्षो से प्राप्त होने वाली उपज का ही अधिकारी होगा।*
22. *अनुज्ञप्ति ग्रहिता को फलदार वृक्षों की उपज के सापेक्ष प्राधिकरण को दिये जाने वाले वार्षिक अंशदान में 10.00 प्रतिशत/उपभोगता मूल्य सूचकांक (जो भी अधिक हो) के आधार पर वार्षिक वृद्वि के साथ अंशदान जमा करना होगा।*
23. *अनुाप्तिग्रहिता द्वारा यदि बीच में ही अपनी स्वेच्छा से फलदार वृक्षों की उपज का कार्य छोडा जाता है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।*
24. *उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लघंन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा तथा रूचि की अभिव्यक्ति पुनः आमन्त्रित कर दिया जायेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिग्रहिता को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नही होगा।*

अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

मैने उपरोक्त 1 से 24 तक सभी शर्तो को पढ़ लिया है और सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर `..... शब्दो में ....प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर बिडदाता